

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-70/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

विभागीय आदेश संख्या-1362(2), दिनांक 26.09.2024 को संशोधित करते हुए वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में डा० राखी कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शिवहर सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प० चम्पारण के द्वारा दिनांक 01.10.2024 से 21.01.2025 तक कुल-113(एक सौ तेरह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश एवं दिनांक 26.01.2025 से 29.03.2025 तक कुल-63(तिरसठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को अवकाश आदेयता की प्रत्याशा में शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-70/2024-

17/11/24

पटना, दिनांक 24/7/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया, प० चम्पारण/डा० राखी कुमारी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, शिवहर सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, पैथोलॉजी विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

24/7/2026
सरकार के अवर सचिव